

AKALANK PUBLICATIONS

CONTRACT LABOUR (R&A) ACT

विनियम और उत्पादन) अधिनयम, १९७० और संविदा श्रमिक

इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। किसी कर्मकार का किसी करार या सविवा या स्थायी आदेशों के निवन्धनों के अन क जानवाचा जा परिवार सम्बंध नारा पर हो किया विकास वाच्या कार कर प्राप्त कर किया जावना कार कर कार्या का कार्या क अधिकार प्रमुचिवायों प्राप्त हैं वा जो प्राप्त किये जा सकते हैं या सेवा की और अनुकूल प्रत्नों के हकता है का ऐसे कार्या आवित इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल प्रसुविधायें प्राप्त हो जायें को यह अधिनियम छीन नहीं रहा है। के करने के जिनसे

यह अधिनियम किन की लागू होता है यह अधिनियम प्रत्येक ऐसे स्थापन पर लागू होता है जिसमें 20 या अधिक कर्मकार सीवह अधिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन नियोजित के और ऐसे हर ठेकेदार को लागू होता है जो 20 या अधिक कर्मकारों को नियोजित किर है या पूर्ववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन नियोजित किर है। भी स्थापन किसी नियोजित किर है। भी स्थापन किसी नियोजित किर है। भी स्थापन किसी नियोजित किर है।

ऐसे ख्यापन जिसमें केवल आनतायिक या आकस्पिक प्रकार का कार्य किया जाता हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। लेकिन ऐसे स्थापन जहां की पूर्ववर्ती 12 मासों में 120 या अधिक दिन काम किया गया था या किसी सामयिक प्रकार के कार्य में एक वर्ष में 60 से अधिक विन काम किया गया था, को आंतरायिक प्रकार का काम करने वाला नहीं समझा जाएगा।

(।) समचित सरकार से :

- (क) केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन, चलाये जाने वाले किसी आयोग से संबंधित कोई स्थापन,
 - (क) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोर्ड नियप्रित उद्योग.

(ग) छावनी बोर्ड.

(इ) खान, (इ) किसी बैंककारी या बीमा कंपनी का कोई स्थापन,

(ख) कोई रेल, (घ) महापत्तन (च) तेल-क्षेत्र

(ज) के संबंध में केंद्रीय सरकार अभिग्रेत है। (ख) किस अन्य स्थापन के संबंध में, जिस राज्य में वह स्थापन स्थित है, वहाँ की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

ी:- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी कोई कार्यालय या विभाग या ऐसा कोई स्थान जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारवार, विनिर्माण या उपजीविका चलाई जाती है।

(॥) प्रधान नियोजक

्रविधा नाभावज्ञ. (क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध में कार्यालय या विभाग या प्राधिकारी का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस निषित्त विनिर्दिष्ट करें। (ख) किसी कारखानों की दशा में, उस कारखाने का स्थामी या अधिमोगी और कारखाना अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रबचक

(क) गंकसा कारखान का वरा न, उस कारखान का स्वयंत्र व जातकात का प्रवंधक। और किसी खान के मामले में खान का मामी या अभिकतों और खान का प्रवंधक। (ग) किसी अन्य स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये उत्तरदायों कोई व्यक्ति। "ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति जो विनिर्मित माल या वस्तुओं के सिर्फ प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम संविदा श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापन के लिये प्राप्त कराने को वजनक प्रदाय करता है। ठेकेवार के अर्तगत उप-ठेकेवार आता है। विद्ध है या जो उस स्थापन के किसी भी काम के लिये सीवड श्रमिकों का

संविद अभिक" कोई कर्मकार किसी स्थापन में "संविद श्रमिक" के रूप में नियोजित समझा जाएगा जब वह प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, किसी ठेकेदार के पाध्यम से काम के लिये भाड़े में रखा जाता है।

"कर्मकार"- कोई व्यक्ति जो किसी स्थापन में भाड़े या इनाम के लिये कोई कुशल, अकुशल या अकुशल शारीरिक कार्य या पर्यवेक्षणीय तकनीकी या लिपिक कार्य करने के लिये किसी स्थापन में नियोजित हैं, चाहे नियोजित के नियन्त्र अभिव्यक्त हों या

ाज्यात्राता कोई व्यक्ति को मुख्यत: प्रबन्ध संबंधी या प्रशासनिक हैंसियत से नियोजित है या पर्यवेक्षण संबंधी हैसियत में नियोजित है और 500 क पासिक से अधिक मजबूरी पाता है या जो मुख्यत: प्रबन्ध संबंधी कार्य करता है और बाह्य कार्मिक जो प्रधान नियोजक की ओर से ऐसे परिसर में कोई कार्य करता है जो प्रधान नियोजक के नियंत्रक और प्रबंध के अधीन नहीं है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकार के रूप में नहीं माना

अधिनियम, नियमों को केन्द्रीय क्षेत्र में लागू करने के लिए तंत्र

सभी सहायक क्षम आयुक्त (केंद्रीय) रिकार्ट्यकरण एवं अनुहारित अधिकारी के रूप में और सभी प्रावेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं सभी प्रावेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) और कनिष्ठ श्रम निरीक्षक, निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गए हैं।

अधिनियम के प्रशासन संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिये समुचित सरकार सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी।

किसी स्वापन का हर प्रधान नियोजक अपने स्वापन के संबंध में, जिस क्षेत्र में उसका स्वापन स्थित है, उसके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्षणी स्वार्ण कर प्रभाग राज्यका जयन स्वार्ण का स्वयं मा जान श्रेष्ठ में काला स्वार्थन स्थात है, असक राजस्ट्राकरण आध्यकारा समुखित सरकार द्वारा विदित नियत अविष के भीतर, उस प्रयोजन के लिये वित्तरिक्ट फीस देकर राजिस्ट्रीकरण का प्रमाणाय प्रारत करेगा। समुजित सरकार के पूर्व अनुमोदन पर राजिस्ट्रीकरण प्रमाणयत्र प्रतिसंद्धत किया जा सकेंगा वित वह गया। जाय कि प्रमाणयत दुर्व्यप्येशन द्वारा या किसी तालिक तथ्य को देवा कर प्राप्त किया गया या राजिस्ट्रीकरण बेकार या प्रमायहीन हो गया है।

अरजिस्ट्रीकरण का प्रा

किसी स्थापन का कोई प्रधान नियोजक, यदि उसका स्थापन समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है या उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के पश्चात् संविव अमिक नियोजित नहीं कर सकता है।

संवित श्रमिकों के नियोज का प्रतिषेध

समुचित सरकार यथास्थिति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड या राज्य सलाहकार बोर्ड से सलाह करने के परचान् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थापन की किसी प्रक्रिया, क्रिया, या अन्य संकर्ष में सविद अभिकों का निवोजन प्रतिषद्ध कर सकेगी। ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले समुचित सरकार उस स्थापन में सर्विद श्रमिकों के लिये व्यवस्थित कार्य की दशाओं और प्रसृविधाओं तथा अन्य संगत बातों का प्र्यान रखेगी।

 समृचित सरकार द्वारा जैसा कि अधिसृचित की गई तारीख से कोई ठेकेदार, जिसकों यह अधिनियम लागू होता हो, संविद श्रमिकों के माध्यम से कोई भी काम नहीं लेगी या निष्पादित नहीं करेगा सिवाय अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस निर्मत दी गई अनुज्ञरित के अधीन और उसके अनुसरण में।

प्रत्येक ठेकेंबार को, जिसको अधिनियम लागू होना हो, जहां उसका स्थापन स्थित है उस क्षेत्र के अनुज्ञापन अधिकारी से, समुचि सरकार द्वारा नियत अवधि के धीतर प्रति कर्मकार 30 रू- जमा कर के और विहित फीस देकर अनुत्रति प्राप्त करनी होगी। अनुत्रति के प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साब-साथ निप्नलिखित सूचना होगी :-

अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी।

2:00

(2) उस स्थापन में संविद श्रमिकों के रूप में अधिकतम कितने कमैंकार नियोजित किये जा सकते हैं के साथ अन्य

जब संविव अमिकों का नियोजन 6 महीने के लिये

चलते रहने की संभावना हो और नियोजित संविद अधिकों की संख्या 100 या अधिक हो जिसमें में

(2) उस स्थापन म सावद आमका के रूप म आधकतम कितन कमकार ानधारिका किये जा सकते हैं के साथ अन्य विशिष्टियों जैसि के संदेश मजदार के बर कार्य के प्रदेश के पर कार्य के नाम कर कर कर कर के पर क

विद्यमान स्थापनों की तथा में नियमों के पनर्तन

की तारीख़ अर्थात् 16.2.71 से 60 दिन के

श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 7 दिन के

जुन्ना है. सात का त्या वावासाय होगा जार विद्युत पास दूर पर उस नयाकृत कथा जा सकता आर कास अनुप्राण के नवाकरण के लिये आवेदन उस जारों की गई अनुप्रीत सायाल होने की तारीक से कस से कर 30 दिन पूर्व दिया जाना चाहिये। यदि अनुप्रीत बुट्यंपदेशन आदि द्वारा प्राण की गई हो या यदि अनुप्रीत्मधारी अनुप्रीत को प्रार्ती का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो उसे प्रतिसहत किया जा सकेगा। व्यक्ति पक्षकार हुररा ऐसे आवेश पर आदेश के 30 दिन के पीनर अपील दायर की जा सकेगी।

संविद्य अभिका

कैन्टीन, विश्रामकक्ष, पेय जल, शौधालय, मुत्रालय, धुलाई सुविधाओं को निम्नलिखित मापमान पर, कल्याण, स्वास्थ्य प्रसुविधाओं में से त्येक के सामने दी गई विहित समय सीमा के भीतर व्यवस्था करने का उत्तरवायित्व ठेकेदार का है :-

	वंशाविनिर्विष्ट उपयुक्त केंट्रीन की व्यवस्था करनी और चलानी होगी।	भारत आर नय स्थापना का दशा म साबद अमिकों के नियोजन के आरम्भ से 60 दिन के भीतर।
विश्राम कक्ष	जहां कहीं भी संविद अभिकों का नियोजन 3 मास या उससे अधिक के लिये चलते हिने की संभावना हो और संविद अभिकों से रात में रूकना अपेक्षित हो, नियमों के अनुसार विश्रामकक्ष रखने होंगे।	विद्यमान स्थापनों की दशा में निवमों के प्रतंतन की तारीख अर्थीत् 10.2.77 से 15 दिन के भीतर और नये स्थापनों के मामले में संविद प्रमिकों के नियोजन के आरम्म से 15 दिन के मीतर।
पेथ-जल	सुविधाजनक स्थलों पर स्वास्थ्यप्रत पेय-जल की व्यवस्था होगी।	विद्यमान स्थापनों की वशा में नियमों के प्रवंतन की तारीख अर्थात् 10.2.71 से 7 दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में सर्विद अमिकों के नियोजन के आरम्म से 7 दिन के भीतर।
धुलाई सुविधायें	जैसा नियमों में बताया गया है धुलाई सुविधाओं के लिये उपयुक्त और समुचित सुविधायें दी जायेंगी।	विद्यमान स्थापनों की दशा में निवमों के प्रवंतन की नारीख अर्थात 10.2.71 से 7 विन के

"श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय (श्रम एवं रोजगार विभाग) संः S-16011/7/72/LWI (1) 16.12.1972 के अनुसार

लय शीचाल जहां महिलायें नियोजन हो वहां प्रत्येक ग्रशोद्धव 25 महिलाओं के लिये कम से कम एक शौचालय 2. जहां पुरूष नियोजित हों। वहां प्रत्येक 25 पुरूषे लिये कम से कम एक शौचालय जहां पुरूषों या महिलाओं की संख्या 100 से अधिक हो तो 100 तक यथास्थिति प्रत्येक 25 पुरूषों या महिलाओं के लिये एक शौचालय और उसके पश्चात् 50 के लिये एक, पर्याप्त होगा। लिय एक, प्रयान हाना प्रत्येक 150 संविद श्रमिकों या उनके किसी भाग के तिय कम से कम एक बक्स की दर पर प्राथमिक उपचार बाक्स रखा जाना चाहिये और पूरे कार्य के प्राथमिक उपचार मविधाये विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवंतन की तारीख अर्थान 10,2,71 से 7 दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में संविद् श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ घंटे के दौरान तुरंत पहुंच में होना चाहिये।

से 7 विन के भीतर। यदि ठेकेदार विहित समय सीमा के भीतर किसी प्रसृतिधा को व्यवस्था करने में असफल रहे तो ऐसी प्रसृतिधा प्रधान नियोजक द्वारा, केंटीन के मामले में 60 दिन के भीतर, विश्रामकक्ष के मामले में 15 दिन में, पेय-जल के प्रदाय शीवालय और मुखालय की व्यवस्था, पुलाई और प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था की बाबत 7 दिन में, ऐसी अवधि की समाप्ति के प्रश्चान जिसके दौरान ठेकेदार से व्यवस्था करना

(1) ठेकेबार मज़दूरी की वह अवधियां, एक माह से अनिधिक शिवा करोगा जिनकी यावत मजदूरी देव होगी। (ii) ऐसे स्थापन में जहां एक हजार से कम व्यक्ति नियोजित किये गये हों संबंधित मजदूरी अवधि की अतिम दिन के पश्चात् 7 वां दिन समाप्त होने से पहले मजदूरी ती जायेगी और जहां एक हजार या अधिक व्यक्ति नियोजित हों वहां दसवां दिन समाप्त होने से पहले (ii) ऐसे स्थापन

(iii) किसी कर्मकार के नियोजन की समाप्ति पर देव मजदूरी उसके नियोजन की समाप्ति के दिन से दूसरे-कार्य दिवस की समाप्ति से पूर्व

(III) (कार्स वनकार का राज्यकर का कार्यकर अवस्था के अपने कार्यकर अवस्था के वस मन्त्री के आवश्यकर कार्यकर के अध्य उसको वेद मनवृत्ती को आवश्यकर (IV) सभी संदाय कर्मकार को सीथे या कर्मकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के पाध्यम से किये जायेंगे, मजबूरी, चाल् सिक्के या करेंसी या दोनों में जी जायेगी और पहले से अधिसृधित तारीख को कार्य-परिसर पर कार्य घंटों के दौरान किसी कार्य

यदि काम मजदूरी की अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा हो जाये तो अंतिम संदाय अंतिम कार्य-दिवस के 48 घटे के भीतर किया

(vi) भजदूरी बिना किसी कटीती के, सिवाय मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन प्राधिकृत, कर्मकार को दी जायेगी।
 (vii) भजदूरी का संवाय प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में और इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित स्थान और समय पर किया जायेगा।

(1) प्रधान नियोजक संविदाओं का एक रजिस्टर रखेगा।
(ii) प्रत्येक ठेकेबार अपने द्वारा नियोजन व्यक्तियों का एक रजिस्टर रखेगा।
(ii) प्रत्येक ठेकेबार अपने द्वारा नियोजन व्यक्तियों का एक रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक कर्मकार को, उसके नियोजन के तीन विन के भीतर नियोजन पत्र भी जारी करेगा। नियोजन की समापित पर ठेकेबार कर्मकार को सेवा प्रमाणपत्र भी जारी करेगा।
(iii) ठेकेबार अप्रेजी और हिंदी में निम्मितिखित रजिस्टर रखेगा:

(क) मस्टर रोल

ग) कडौतियों का रजिस्टर

(घ) अतिकालिक रजिस्टर (घ) अग्रिम रजिस्टर

्व) कार्यात्वा कार्यात्वः (१) प्रत्येक रहेकंद्रार अधिनियम और नियमों का सक्ति आपे स्थित (१) प्रत्येक रहेकंद्रार अधिनियम और नियमों का सक्षिति अप्रेज़ी और हिती में और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा में रखेगा।

(v) सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख उनमें की ऑतम प्रविष्टि की तारीख से तीन केलेण्डर वर्षों की अवधि के लिये मूल रूप से परिरक्षित रखे जावेंगे। अधिनियम या नियमों के अधीन रखे गये रजिस्टर और अभिलेख, मांग किये जाने पर निर्म के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या इस निर्मत्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष पेश किये जायेंगे। ने पर निरीक्षक या अधिनियम

मजबूरी की वरें, कार्य घंटे, मजबूरी की अवधियां, मजबूरी संदाय की तारीख में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षकों के नाम और पते और असंदन मजबूरी के संदाय की तारीख वर्धित करने वाली सूचनायें, अग्रेजी और हिंदी में और कर्मकारों की बहु-संख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में संप्रवर्धित की जायेंगी।

त्येक ठेकेदार अर्द्ध-वार्षिक विवरणियां प्ररूप 24 में (दो प्रतियों में) अनुज्ञापन अधिकारी को भेजेगा और प्रत्येक प्रधान नियोजक वार्षिक विवरण प्ररूप 25 में (दो प्रतियों में) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भेजेगा।

अर्द्ध-चार्षिक से प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी से प्रथम जुलाई तक की अवधि अभिग्रेत है। अर्थ-चार्षिक विवरण अर्द्ध-चार्षिकी की समाप्ति के प्रश्चात् 30 विन के अपरचात् और वार्षिक विवरण, जिसके संबंध में वे हों उसके अंत के परचात् आने वाली 15 फरवरी के अपरचात् पहुंच बायें।

बोर्ड, समिति, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या निरीक्षक या अधिनियम के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी को किसी । में किसी प्रधान नियोजक या ठेकेवार से लिखित आवेश द्वारा किसी भी समय कोई सूचना या आंकड़े मांगने की शक्ति होगी। अधिनियम के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी को किसी संवित श्रम के संबंध गराच के लिए गार्ग

(i) जो कोई किसी निर्माक्षक को उसके कर्नांच्यों के निर्वहन में बाचा पहुँचायेगा, या अधिनियम के अधीन कोई निरिक्षक, का परिक्षा जांच या अन्वेषण करने में निरीक्षक को युन्तियुक्त सुविधा देने से इंकार या उसकी जानवृष्ट्र कर उदेक्षा करेगा, वह कराखास, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो पांच मी रूपये तक का हो सकेगा, या बोनों से वण्डनीय होगा। यही वण्ड ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो इस अधिनियम के अधीन रखे गये किसी रिजिस्टर या अन्य अभिक्षत वस्तावेज को निरीक्षक के सामने रखने से जानकुएसमर क्या अन्य अभिक्षत वस्तावेज को निरीक्षक के सामने रखने से जानकुएसमर क्या अन्य अभिक्षत के सामने रखने से जानकुएसमर क्या अन्य असी असी असी असी स्वाप्त को नियारित करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके बारे में निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण है कि निवारण की संभावना है।

ानगाइक का यह त्यरवास करन का कारण है कि निवारण का सभावना है। (ii) जो कोई इस अधिनियम या निवारों के किसी ऐसे उपबन्ध का उल्लंघन करेगा जो संविद श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषद्ध निर्वाधित या विनियमित करता है या इस अधिनियम के अधीन अनुकत अनुकति जी किसी शर्त का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अधीव तीन पसा तक की हो सकेगा, या जुमाने से, जो एक हज़ार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों में उपडनीय होगा, और चाल्नु रहने वाला उल्लंघन की वशा में ऐसे एक हज़ार रूपये प्रतिविन के अतिरिक्त जुमाने से दण्डनीय होगा जो प्रथम उल्लंघन के लिये बोच-सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रतिविन के

वरों में ५स ५क कुणार जपन आतावन के आतारका जुमान से एकनाय हागा जा प्रथम उरल्यम के ातम बाम-समझ के परचात् एस प्रातावन क नियर जिसके दौरान ऐसा उरल्योजन चाल्यू रहता है, होगा। (|||) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इन नियमों के किहीं ऐसे उपबन्धों का उरल्यम करेगा जिनके लिये अन्यत्र कोई अन्य शासित उपबन्धित नहीं को गई है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हज़ार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डमीय होगा।

कम्पनियो द्वारा अपराध

यवि इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो वह कम्पनी और कम्पनी के संचालन के लिये उसका तथा उसके प्रति उत्तरदायी हर एक व्यक्ति भी इस अधिनियम और नियमों के अधीन कार्रवाई किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

(क) ऐसे सहायकों के साथ जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम या तदबीन बनाये गये निवमों के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किये के 7 एस सहाबकों के साथ ।जह वह ठाक सम्बंद इस आधानयम या तदक्षन बनाय गय ।गयमा के द्वारा या अधान रख या प्रदाशत ।कय जाने के लिये अपेक्षित किसो पिकटर या अभिक्षेत्र या कार्य प्रचाजाओं की पारोक्षा करने के प्रचायन के लिये सभी सुरीकायुक्त घनटों में ऐसे किसी परिसर या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां सर्विवद अमिक नियोजित है और निरीक्षण के लिये उसका पेश किया जाना अपेक्षित कर

. (ख) ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेंगा जिसे वह ऐसे किसी परिसर या स्वान में पाये और जिस में उसके पास वह विश्वास करने

(क) एस किसा व्याक्त का पराक्षा कर सक्या जिस वह एस किसा पारसर या स्थान म पाथ आर जिस मे उसके पास वह विश्वास करन का युक्तियुक्त हें कि वह उसमें नियोशित कोई कर्मकार हैं,
(1) काम बांटने वाले किसी व्यक्ति में और किसी भी कर्मकार से वह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों के, जिन्हें या जिसके लिये काम बांटा जाता है या जिनसे काम प्राप्त होता है, नामों और पतों के संबंध में तथा काम के लिये किये जाने वाले संवायों के संबंध में ऐसी जानकारी में विज्ञास तथा अपकार में विज्ञास होता है,
(1) ऐसे अभिवास वेल उसकी प्रक्ति में हो,
(1) ऐसे अभिवास या मुख्यायों जिलें वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के संबंध में संगत समझे अभिगहीत कर सकेगा

या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा (इ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी सरकार द्वारा विहित की जायें।

अंग्रेंजी में भी उपलब्ध

समी निर्धारित प्रपत्न, रजिस्टर, पुस्तकें (समान पारिश्रमिक अधिनियम व नियम के अन्तर्गत अधिनियम व्याख्याएं तथा गार्ग दर्शिका) हमारे पास उपलब्ध हैं। All Books, Forms & Registers under the Act are available with us.

© 🚰 अकटांक पब्लिकेशन्स akalank publications akalank publications

3622, Morl Gate, Delhi-110006 Ph.

यह पाठ केवल संदर्भ मात्र है। सम्पूर्ण विवरण के लिए कृपया अधिनियम पढें।



AKALANK PUBLICATIONS

ABSTRACT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970 AND RULES, 1971*

As per of Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour & Employment) Not. No. S-16011/7/72/LWI(1) dt. 16.12.1972

The Act extents to the whole of India.

The Act does not take away the rights/benefits of any workmen who by terms of any agreement or contract or Standing Orders are enjoying or can obtain or are entitled to more favourable conditions of service or from entering into such agreements etc; entitling them to more favourable benefits than provided under the Act.

TO WHOM THE ACT APPLIES

The Act applies to every establishment in which 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months as Contract Labour and to every contractor who employed or employed on any day of the preceding 12 months, 20 or more workmen.

The establishments in which intermittent or casual work is performed do not come within the purview of the Act. However, an establishment wherein work is performed for 120 days or more in 160 days in a year on work of a seasonal character will not be deemed as carrying out the work of intermittent nature.

DEFINITIONS

opriate Government" means:Central Government in relation to(a) any establishment pertaining to any industry carried on by or under the authority of the Central Government,
(b) any controlled industry which may be specified by the Central Government,
(any Railway,
(d) Cantonment Board,

Major Port, Mine, Oilfield,

(ii) Principal Employer — (a) In relation to any office or department of the Government or local authority or any place authority, the head of the office or department or local authority or any place authority, trade, business, manufacture or occupation is carried on.

(iii) Principal Employer — (a) In relation to any office or department of the Government or local authority or any office or department or local authority or any other officer specified in this behalf by the Government or local authority.

(b) In the case of factory the owner or occupier of the factory and the manager appointed under the Factories Act and in the case of a mine the owner or agent of the mine and the manager of the mine.

(c) In any other establishment in person who is responsible for supervision and control of the establishment.

(c) In any other establishment in person who is responsible for supervision and control of the establishment.

(iv) "Contractor"—A person who undertakes to produce a given result for the establishment other than a mere supply of goods or articles of manufacture to such establishment through contract labour or who supplies contract labour for any work of the establishment. A contractor includes a sub-contractor.

(v) "Contract Labour"—A workman shall be deemed to be employed as "contract labour" when he is hired for work in an establishment through a contractor with or without the knowledge of the principal employer.

employer.

(vi) "Workman"— Any person employed in or in connection with the work of any establishment to do any skilled, semi-skilled or un-skilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied.

A person employed mainly in a managerial or administrative capacity or employed in supervisory capacity and is drawing wages, exceeding 18. 500/- per month or exercising functions mainly of a managerial rature and an out-worker who performs any work on behalf of the principal employer in premises which are not under the control and management the principal employer, will not be deemed as a workman within the purview of the Act.

MACHINERY FOR ENFORCEMENT OF THE ACT/RULES IN CENTRAL SPHERE

All Assistant Labour Commissioners (Central) have been appointed as Registering and Licensing Officers and all the Regional Labour Commissioners (Central), as Appellate Officers. All the Regional Labour Commissioners (Central), Labour Enforcement Officers (Central) and Junior Labour Inspectors, have been appointed as Inspectors.

The appropriate Government shall constitute the Advisory Board to advise the Government on matters connected with administration of the Act.

matters connected with administration of the Act.

Every principal employer of an establishment has to obtain a certificate of Registration for his establishment, from the Registering Officer of the area in which his establishment is located, within the prescribed period fixed by the appropriate Government, on payment of the fees specified for the purpose. The certificate of registrations can be revoked with previous approval of the appropriate Government if it is found that the certificate has been obtained by misrepresentation or suppression of any material fact or if the registration has become useless or ineffective.

EFFECT OF NON-REGISTRATION

No principal employer of an establishment can employ contract labour if his establishment has not been registered within the period specified by the appropriate Government or after revocation of his registration.

been registe registration.

PROHIBITION OF EMPLOYMENT OF CONTRACT LABOUR

The appropriate Government may after consultation with be Central Advisory Board or the State Advisory Board as the case may be prohibit by notification in the official Gazette employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment. Before issuing such notification the appropriate Government shall examine the conditions of work and benefits provided for the contract labour in that establishment and other relevant factors.

that establishment and other relevant factors.

1. With effect from such date as notified by the appropriate Government, no contract labour in this Act applies shall undertake or execute any work through contract labour except under and in accordance with allicence issued in that behalf by the Licensing Officer.

2. Every contractor to whom the Act applies has to obtain a licence from the Licensing Officer of the area in which the establishment is located, within the period fixed by the appropriate Government by depositing Rs. 30/- per worker and on payment of the prescribed fee. The certificate of licence inter alla contains the following information:

(1) that licence shall be non-transferable,

(2) that the maximum number of workmen that can employed as contract labour in that establishment along with other particulars such as rates of wages payable, hours of work and other service conditions of the workmen,

(3) that in an establishment where 20 or more workmen are ordinarily employed as contract labour the contractor shall provide 2 rooms of reasonable dimensions for use as creches and supply loys, games, beddings and cots for the use of their children.

children.

The license is valid for 12 months and on payment of prescribed fees it can be renewed and an application for renewal of licence should be made not less than thirty days before the date on which the licence issued expires. A licence can be revoked in case it has been obtained through misrepresentation, etc., or if the licensee has failed to comply with the conditions of the licence. An appeal can be filled on such orders by the aggrieved party within 30 days of the order.

WELFARE AND HEALTH OF CONTRACT LABOUR

It is the responsibility of the contractor to provide canteen, rest shelter, drinking water, latrines, urinals, washing facilities and first-aid boxes on the following scales, within the prescribed time limit shown against each of the welfare-health amenities:

Rest Room

Where employment of contract labour whete emproprient of contract about its likely to continue for 6 months and the number of contract labour employed is 100 or more, an adequate canteen has to be set up and run as specified in the Rules.

Wherever employment of contract labour is likely to continue for 3 months or more and contract labour is required to halt at night, rest rooms are to be maintained in accordar with the Rules.

In case of existing establishments, within 60 days from the date the Rules come into force, i.e. 16.2.71 and within 60 days of commencement of the employment of contract labour in case of new establishments. In case of existing establishments within 15 days from the date the rules come into force i.e. 10.2.71 and within 15 days of the commencement of the employment of contract labour in case of new establishment.

Welfare Health **Drinking Water**

Whole some drinking water shall be supplied

at convenient places.

In the case of existing establishments, within 7 days of the commencement of the rules, i.e. 10.2.71 and in case of new establishments, within 7 days of the commencement of the employment of contract labour. -Do-

Washing facilities Adequate and suitable facilities for washing

-Do-

-Do-

Urinals and

Adequate and suitable facilities for washing facilities be provided as detailed in the Riles.

1. Where females are employed at least one latrine for every 25 females.

2. Where males are employed at least one latrine for every 25 males.

Where the No. of males or females exceeds 100 it will be sufficient if there is one latrine for 25 males or females as the case may be up to the first 100 and one for every 50 thereafter. First-aid boxes at the rate of not less than one box for every 150 contract labour or part

box for every 150 contract labour or part
thereof should be maintained and shall be
readily accessible during all working hours.
If the contractor fails to provide the above amenities within the time limit prescribed, then such
amenities shall be provided by the principal employer within 50 days in the case of canteen, 15 days in the
case of rest room, 7 days in respect of supply of drinking water, provision of latrines and urinals, washing
and first-aid facilities of the expiry of the period during which time the contractor was required to provide

PAYMENT OF WAGES

contractor shall fix wage periods, not exceeding one month, in respect of which wages

The contractor shall fix wage periods, not exceeding one month, in respect of which wages shall be paid.

Wages are to be paid before the expiry of the 7th day after the last day of the wage period concerned in an establishment where less than one thousand persons are employed and before the expiry of the tenth day where one thousand or more persons are employed. On termination of employment of a worker due wages shall be paid to him before the expiry of second working day from the day of termination of his employment.

All payments will be made to workers directly or through other persons authorised by the workers for the purpose, the wages being paid in current coin or currency or in both and on a working day at the work premises during working hours on dates notified in advance. If the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day. The wages shall be paid to workers without any deduction except those authorised under the Payment of Wages Act, 1936. (ii) (iii)

(vi)

The wages shall be paid to workers without any deduction except those authorised under the Payment of Wages Act, 1936.

Payment of wages will be made in the presence of an authorised representative of the principal employer at the place and time notified for the purpose.

Payment of wages will be made in the presence of an authorised representative of the principal employer at the place and time notified for the purpose.

The principal employer shall maintain a register of contracts.

Every Contractor shall maintain a register of persons employed by him and also issue an employment card to each worker within three days of his employment. On termination of employment, the contractor shall issue to the workmen a service certificate.

The contractor shall maintain the following registers in English or in Hindit*:

(a) Muster Roll;

(b) Register of Wages;

(c) Register of Deductions;

(d) Register of Overtime;

(e) Register of fines;

(f) Register of advances.

Every contractor shall display an abstract of the Act and rules in English and Hindi and in the language spoken by the majority of workers.

(III)

Every contractor snatidisplay an abstract of the Act and rules in English and Hindl and in the language spoken by the majority of workers.

All registers and other records shall be preserved in original for a period of three calender years from the date of last entry therein. The registers and records maintained under the Act or rules shall be produced on demand before the inspector or any, other authority under the Act or any Person authorised in that behalf by the Government. (v)

Person authorised in that behalf by the Government.

NOTICES

Notices showing the rates of wages, hours of work wage period, date of payment of wages, names and addresses of the inspectors having jurisdiction, and date of payment of unpaid wages, shall be displayed in English and in Hindi and in the local language understood by the majority of the workers.

RETURNS

Every contractor shall send half-yearly return in Form XXIV (in duplicate) to the Registering Officer and every Principal Employer shall send annual return in Form XXV (in duplicate) to the Registering Officer.

Note: Half year means a period of 6 months from 1st January to 1st July of every year.

The half-yearly return is to be sent not later than 30 days after the close of the half year and the annual return not later than 15th February following the end of the year to which it relates.

POWERS

The Board, Committee, Chief Labour Commissioner (Central) or the Inspector or any other authority.

The Board, Committee, Chief Labour Commissioner (Central) or the Inspector or any other authority under the Act shall have powers to call for any information or statistic in relation to contract labour from any principal employer or contractor at any time by an order in writing.

(i) Any person who obstructs an Inspector in discharge of his duties or refuses or willfully neglects to afford the Inspector any reasonable facility for making any inspection, examination, inquiry or investigation under the Act, shall be punishable with imprisonment up to a period of three months or with fine which may extend up to a period of three months or with fine which may extend up to five hundred rupees or with both. The same punishment will be applicable to any person who willfully refuses to produce any required document or any register kept under this Act or prevents or attempts to prevent or does any thing which the Inspector has reason to believe is likely to prevent any person appearing before or being examined by him.

by him.

(ii) Any person who contravenes any provisions of this Act or rules prohibiting, restricting or regulating the employment of contract labour or contravenes any condition of a licence granted under this Act, shall be punishable with imprisonment up to a period of three months or with fine of one thousand rupees or with both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine of Rupees one hundred for every day during which such contravention continues after conviction for the first contravention.

(iii) Every person who contravenes any of the provisions of the Act or rules for which no other penalty is elsewhere provided, shall be punishable with imprisonment up to three months or with fine of one thousand rupees or with both.

OFFENCES BY COMPANIES

If the person committing an offence under this Act and Rules is a company, the company as well as every person incharge of an responsible to the Company for the conduct of its business shall be liable for the proceedings under the Act and the Rules.

POWERS OF INSPECTORS

-0-

An Inspector under the Act may—

(a) enter, at all reasonable hours, with such assistance as necessary and premises or place where a contract labour is employed, for the purpose of examination of any register of record or notices required to be each or exhibited by or under this Act or Rules made thereunder and require the production thereof for inspection;

Inspection;
(b) examine any person whom he finds in any such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is a workman employed therein;
(c) require any person giving out work and any workman to give any information which is in his power to glive with respect to the names and addresses of the persons to, for and from whom the work is given out or received and with respect to the payments made for the work;
(d) selze or take copies of such documents or notices, etc., which he may consider relevant in respect of an offence under this Act;
(e) exercise such other powers as may be prescribed by the Government.

Published By: AKALANK PUBLICATIONS 3622, Mori Gate, Delhi-1100 Ph.: 23915064, 9312715064 E-mail: info@akalank.com

Also available in Hindi